

प्रवासियों का समर्थन

यह एडिटरियल दिनांक 05/04/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Push the Policy Needle Forward on Migrant Support" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में प्रवासी कामगारों के लिये नीतिनिर्माण की आवश्यकता और संबद्ध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

देशव्यापी लॉकडाउन के परिदृश्य में भूख, थकावट और हिसा का सामना करते सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल अपने गाँव-घरों को लौटते प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर देश हैरान रह गया था।

प्रवासियों की वकिल परस्थितियों को देखते हुए ही सरकारों और नागरिक समाज द्वारा समान रूप से उन पर विशेष ध्यान रखते हुए बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाए गए।

'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) परियोजना का विस्तार और एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) योजना के साथ ही ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत ने आशा की नई करिण जगाई। हालाँकि प्रवासियों की कथा अभी भी भारत में संकट की गाथा बनी हुई है।

प्रवासन और प्रवासी

महत्त्व

- प्रवासन कुशल श्रम, अकुशल श्रम और सस्ते श्रम की दक्षतापूर्ण उपलब्धता के साथ श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को भरता है।
- यह बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और अंतःक्रिया के माध्यम से प्रवासियों के ज्ञान एवं कौशल की वृद्धि करता है।
- यह रोजगार और आर्थिक समृद्धि की संभावनाओं को भी बढ़ाता है जो बदले में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है।
- प्रवासियों की आर्थिक सेहत उद्गम क्षेत्रों में परिवारों को जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है और उपभोक्ता व्यय तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परसंपत्ति सृजन में निवेश की वृद्धि करती है।

प्रवासी श्रमिकों की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में देश का एक तहई कार्यबल गतिशील है। भारत में प्रवासी श्रमिक विनिर्माण, निर्माण, आतथ्य, लॉजिस्टिक्स और वाणज्यिक कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- वर्ष 1991 के बाद से लगभग 300 मिलियन भारतीयों के गरीबी उन्मूलन (जो कृषि कार्य से पलायन/प्रवासन से प्रेरित रहा था) की उपलब्धि पर कोवडि-19 ने पानी फेर दिया है।
- बार-बार कथि गए सर्वेक्षणों में पाया गया है कि शहरों की ओर पुनः लौटने के बाद भी प्रवासी श्रमिक परिवारों की आय महामारी-पूर्व के स्तर से निम्न बनी हुई है। प्रवासियों को कम कार्य मलि रहा है और उनके बच्चे कम आहार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रवासियों के लिये नीतिपरिदृश्य

- नीतित वमिर्श में प्रवासियों को वापस लाने के स्पष्ट आर्थिक और मानवीय तर्क के बावजूद, वर्तमान नीतिपरिदृश्य खंडति और बदतर स्थिति में ही है।
- हाल ही में नीतिआयोग ने अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक कार्यकारी उपसमूह के साथ **राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति** (National Migrant Labour policy) का मसौदा तैयार किया है।
- मसौदे में प्रवासन को विकास प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की गई है और कहा गया है कि सरकारी नीतियों को बाधाकारी नहीं बनना चाहिये बल्कि आंतरिक प्रवास को सुवधिजनक बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

प्रवासन नीतिकी गतिको कौन से कारक धीमा कर रहे हैं?

- **राजनीतिकरण:** भारत में प्रवासन एक अत्यधिक राजनीतिकृत परघटना है जहाँ राज्य प्रवासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हैं।
 - 'गंतव्य राज्य' (Destination States) आर्थिक आवश्यकताओं (जहाँ प्रवासी श्रम की आवश्यकता होती है) और राजनीतिक आवश्यकताओं (जहाँ रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर अधिवास प्रतर्बिध लगाने की स्थानीयतावादी या 'नेटविस्ट' नीतियों को प्रश्रय दिया जाता है) के बीच एक तनाव का अनुभव करते हैं।
 - हालाँकि 'प्रेषक राज्य' (Sending States) 'अपने लोगों' की सेवा करने के लिये अत्यधिक प्रेरित होते हैं क्योंकि वे अपने स्रोत गाँवों में मतदान करते हैं।
 - आंतरिक प्रवास के प्रतीक राज्या-वशिष्ट गणनाओं से प्रभावित होती है कि प्रवासियों के लिये वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का नविश करने से किस राजनीतिक लाभ (या हानि) की स्थितिबिनेगी।
- **प्रवासियों की गलत पहचान:** प्रवासी दो बड़ी श्रेणियों के अंतर्गत शामिल हैं जो लंबे समय से नीति-निरिमाताओं के लिये कठिनाई का कारण रही हैं: असंगठित श्रमिक और शहरी गरीब। यहाँ तक कि ई-श्रम पोर्टल भी प्रवासियों की सही पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में असमर्थ रहा है।
 - प्रमुख शहरी गंतव्यों में नीतित हस्तकषेप शहरी गरीबों और नमिन-आय वाले प्रवासियों के बीच अंतर करने में भ्रमति बना रहा है।
 - इस परदृश्य में प्रवासी संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिये गंदी बस्ती विकास या 'सुलम डेवलपमेंट' ही प्राथमिक माध्यम बना रहा है, जबकि वास्तव में अधिकांश प्रवासी अपने कार्यस्थलों पर ही नविास करते हैं जो नीति दृष्टिकोण से पूरी तरह ओझल बने हुए हैं।
- **प्रवासन के संबंध में आधिकारिक डेटासेट्स की वफिलता:** भारत में आंतरिक प्रवास के वास्तविक पैमाने और आवृत्तिको दर्ज करने में आधिकारिक डेटासेट्स वफिल रहे हैं (इस बात को अब स्वीकार भी कथिा जाता है) जो प्रवासन नीतिपर वमिर्श को स्पष्ट रूप से गतहीन बनाते हैं।
 - केवल एक ही स्थानिक जगह को समय-समय पर रिकॉर्ड करने के लिये डिज़ाइन कथिा गए डेटा सिसि्टम ने बहु-स्थानीय प्रवासी परिवारों से संबद्ध 500 मिलियन लोगों हेतु कल्याण वतिरण के लिये बड़ी चुनौतियों पेश कर रखी हैं।
 - कोवडि-19 महामारी ने प्रवासी माता-पति के साथ आने वाले बच्चों की शकिषा एवं उनका टीकाकरण या वभिनिन स्थानों पर प्रवासी महलियों के लिये मातृत्व लाभ सुनिश्चित कर सकने जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दलियाया है।

आगे की राह

- **केंद्र की भूमिका:** यदि केंद्र रणनीतिक नीति-भारगदर्शन और अंतर-राज्य समन्वय के लिये एक मंच प्रदान कर सकरथि भूमिका नभिए तो प्रवासियों के हतियों की पूरती हो सकेंगी।
 - राज्य-स्तरीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बाधाओं के संदर्भ में 'गंतव्य राज्यों' में अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने में केंद्र की भूमिका वशिष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- **प्रवासन नीतिको लागू करना:** एक ऐसे समय, जब आर्थिक सुधार और समावेशी विकास अतिआवश्यक नीतित लक्ष्य के रूप में कार्यान्वति हैं, प्रवासन नीतिके संबंध में देरी करना उपयुक्त नहीं होगा।
 - नीतिआयोग की प्रवासी श्रमिकों पर मसौदा नीतिनीतित प्राथमकिताओं को स्पष्ट करने और उपयुक्त संस्थागत ढाँचे का संकेत देने की दशिा में एक सकारात्मक कदम है और इसे शीघ्र ही प्रवर्तति कथिा जाना चाहथि।
 - स्थान पर वचिार कथिा बनिा प्रवासियों को सुरक्षा जाल प्रदान करने और इसके साथ ही सुरक्षति एवं कफिायती रूप से प्रवास कर सकने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये की गई रणनीतिक पहलें प्रवासी-सहायक नीतिकी गतिको बनाए रखने में भी योगदान करें।
- **प्रवासियों को मान्यता देना:** भारत की शहरी आबादी के अंग के रूप में चक्रीय प्रवासियों को मान्यता देना आधिकारियों पर कम से कम इस बात पर वचिार करने के लिये दबाव रखेगा कि प्रस्तावति नीतियों इन समुदायों को कैसे प्रभावति कर सकती हैं।
- **महिला प्रवासी:** वशिष उपायों को खासकर प्रवासी महलियों की स्थतिको भी ध्यान में रखना चाहथि, जो मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं।
 - यद्यपि नई नीतिकी उद्देश्य सभी प्रकार के हाशिए पर स्थति प्रवासियों का समावेशन करना है, इसमें घरेलू कामगारों के समक्ष वदियमान चुनौतियों को स्पष्ट रूप से संबोधति कथिा जाना चाहथि।
 - उनका बहर्वेशति बने रहना बहुत आसान होगा क्योंकि भारत ने 'घरेलू कामगारों पर ILO कन्वेंशन' की पुष्टि नहीं की है और 'घरेलू कामगार वधियक 2017' अभी तक अधिनियम नहीं बन पाया है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में प्रवासन नीतिकी गतिको धीमा करने वाले प्रमुख कारकों और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को संबोधति करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजथि।